

एनपीएस पंजीकरण करना हुआ अब और आसान



निम्न दो विधियों से अपना एनपीएस खाता ऑनलाइन खोलें

- तुरंत खाता खोलने के लिए अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके।
- अपने बैंक खाते के विवरण के साथ अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल करके।

आप ऑनलाइन अंशदान भी कर सकते हैं यदि आप वर्तमान में एक एनपीएस अभिदाता है।

निम्नलिखित कर लाभों का फायदा उठाने के लिए एनपीएस में पंजीकरण:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सीसीई के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 1.50 लाख# की सीमा के अतिरिक्त, आप एनपीएस के माध्यम से अपनी करयोग्य आय से ₹ 50,000/-* की अतिरिक्त कटौती लाभ पा सकते हैं।

प्रभावी रूप में, एनपीएस अभिदाता कर कटौती के रूप में पूर्व के ₹ 1.50 लाख की जगह अब ₹ 2.00 लाख तक दावा कर सकते हैं।

*आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सीसीडी (1बी) के अधीन

धारा 80 सीसीडी (1) के अधीन वेतन/आय का 10%

ई-एनपीएस के अंतर्गत पंजीकरण:

- अब आप यूआईडीएआई से प्राप्त आधार नं. एवं ओटीपी का इस्तेमाल करके अपना प्रान खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं। इस स्थिति में, जनरेट किया गया प्रान आपको तुरंत मिल जायेगा, जिससे आप ऑनलाइन अंशदान कर सकते हैं।
- आप चयनित बैंक की नेट बैंकिंग तथा पैन का इस्तेमाल करके अपना प्रान खाता ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। इस स्थिति में, चयनित बैंक द्वारा केवाईसी (KYC) सत्यापन किया जायेगा। बैंक द्वारा केवाईसी (KYC) सत्यापन के पश्चात् ही प्रान एक्टिवेट करवाया जा सकता है।

ई-एनपीएस के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें

www.npstrust.org.in

टॉल फ्री नं. पर कॉल करें
1800 110 708

या

एनपीएस लिखकर 56677 पर एसएमएस करें*

*मानक शुल्क लागू